



लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन प्रथम तल,
खण्ड-सी, स्कूल शिक्षा विभाग, नवा रायपुर,

फोन नम्बर- 0771-2331385, फैक्स नम्बर - 0771-2445215, ई-मेल- cg.dpi.dir@gmail.com

राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार वर्ष 2021-2022

-:विज्ञप्ति:-

क्रमांक/शि.क.प्रको./06/रा.शि.स.स्मृ.पुर./2022/181 नया रायपुर, दिनांक 18/07/2022

छ0ग0 शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने के उद्देश्य से डॉ. पदुमलाल बख्शी श्री गजानन माधव मुक्तिबोध डॉ. मुकुटधर पाण्डेय एवं बलदेव प्रसाद मिश्र की स्मृति में राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस वर्ष 2021-22 के पुरस्कार हेतु प्रविष्टियाँ आमंत्रित हैं। राज्य चयन समिति की अनुशंसा पर शासन द्वारा घोषित चार शिक्षकों को पचास-पचास हजार रूपये नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जावेगा।

पुरस्कार के लिए निम्न बिंदुओं पर प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाती हैं:-

- 1 आवेदक का पूरा नाम:- पद नाम.....
- 2 शैक्षणिक योग्यता:- जन्मतिथि.....
- 3 कार्यरत संस्था का नाम:- जिला.....
- 4 स्कूल शिक्षा में शिक्षण का अनुभव:-
- 5 आवेदक का दो रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो -
- 6 क्या शिक्षक द्वारा शिक्षण में कोई नवाचार/नव अनुप्रयोग या शैक्षिक अनुसंधान किया गया है, यदि हाँ तो किये गये नवाचार/नव अनुप्रयोग शैक्षिक अनुसंधान को प्रमाण सहित बतावें।
- 7 आवेदक ने कोई पुस्तक लिखी है, यदि हाँ तो क्या स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम में उसे शामिल किया गया है पुस्तक की एक प्रति प्रमाण हेतु प्रस्तुत करें।
- 8 शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई कक्षाओं का वार्षिक परीक्षाफल (पिछले पाँच वर्षों का) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करावें।

वर्ष	पढ़ाई गई कक्षाएँ	विषय	उत्तीर्ण/प्रतिशत	
			स्कूल परीक्षा	बोर्ड परीक्षा
1	2	3	4	5

- 9 क्या शिक्षक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य किया है अथवा कार्यरत है तो उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। (केवल जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे)
- 10 क्या शिक्षक ने शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक/खेलकूद/सांस्कृतिक लक्ष्य निर्धारित किया था। यदि हाँ तो उसकी क्या उपलब्धि रही, अलग-अलग प्रमाण सहित प्रस्तुत करें।
- 11 क्या शिक्षक ने कैरियर काउन्सिलिंग लक्ष्य निर्धारण समय प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास, कम्युनिकेशन स्किल/नेतृत्व एवं प्रबंधन जैसे समसामयिक महत्व के विषय में भाग लिया है/प्रशिक्षण दिया है यदि हाँ तो सप्रमाण प्रस्तुत करें।
- 12 क्या शिक्षक ने राष्ट्रीय राज्य स्तर/जिला स्तर/विकास खण्ड स्तरीय कार्यशाला/सेमिनार में भाग लेकर पेपर प्रस्तुत किया है? या आमंत्रित वक्ता के रूप में सम्मिलित हुए हो तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- 13 क्या शिक्षक ने राष्ट्रीय महत्व की योजनाओं में योगदान दिया है यदि हाँ तो सप्रमाण जानकारी दें।
- 14 क्या शिक्षक ने समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्य किया है यदि हाँ तो सप्रमाण जानकारी दें।
- 15 क्या शिक्षक ने विगत तीन वर्षों से स्कूल के लिए कोई प्रोजेक्ट तैयार किया था? तथा उसमें क्या सफलता मिली। पूर्ण विवरण दें तथा प्रमाण दें।
- 16 क्या शिक्षक को राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक पुरस्कार प्राप्त है? प्रमाण पत्र दें। निम्नांकित आवश्यक बातों का ध्यान रखें।
- 1 शासकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षिकायें ही पुरस्कार हेतु आवेदन करेंगे।
- 2 पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले की आयु 31.12.2021 को 45 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए तथा छ0ग0 के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापन कार्य का कम से कम 15 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है अध्यापन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- 3 महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के शिक्षक इन पुरस्कारों के लिए आवेदन प्रस्तुत न करें।
- 4 एस.सी.ई.आर.टी., शिक्षा महाविद्यालय, डाईट तथा बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक अथवा डाईट अभ्यास शालाओं में कार्यरत शिक्षकों के आवेदन मान्य नहीं है।
- 5 चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के संबंध में आवेदक की लिखित सहमति अनिवार्य है।
- 6 किसी भी शिक्षक का उपरोक्त चार पुरस्कारों में से मात्र एक पुरस्कार के लिए ही चयन किया जावेगा।
- 7 निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।
- 8 प्रविष्टि लिफाफे पर "राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार" 2021-2022 लिखा जावे।
- 9 आवेदक अपना आवेदन/प्रविष्टि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 10 जुलाई 2022 तक जमा कर पावती प्राप्त करेंगे।
- 10 आवश्यक होने पर चयन हेतु प्रस्तावित शिक्षको का साक्षात्कार लिया जावेगा।
- 11 जिला शिक्षा अधिकारी प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर दिनांक 25 जुलाई 2022 तक लोक शिक्षण संचालनालय के शिक्षक कल्याण प्रकोष्ठ में जमा करेंगे।
- 12 आवेदक को शपथ पत्र देना होगा कि उसके विरुद्ध विभागीय जांच, अपराधिक मामला आदि पंजीबद्ध नहीं है तथा उसे दंडित नहीं किया गया है।
- 13 31.12.2021 के पहले सेवानिवृत्त शिक्षकों का आवेदन पुरस्कार के लिए मान्य नहीं होगा।

संचालक द्वारा अनुमोदित



सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
रायपुर छत्तीसगढ़